

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेन्स(एच.सी.) /एल.आर/2534/2006/करौली</b> राजस्थान सरकार बनाम रामोली व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित :</b> श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति० राजकीय अधिवक्ता । अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित ।</p> <p style="text-align: center;">— <b>आदेश</b></p> <p style="text-align: right;"><b>दिनांक:— 12.02.2026</b></p> <p>यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 31.03.2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।</p> <p>रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डौन ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि ग्राम आलावाडा की आराजी खसरा संख्या 169/4 मि० रकबा 10 बिस्वा स्थित ग्राम के नवीन खसरा संख्या 721 रकबा 0.14 है० जिसका प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। जिसका गत आराजी खसरा संख्या 169/4 रकबा 10 बिस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात् गै०मु०नदी दर्ज रिकार्ड था परंतु नामांतरण संख्या 53 दिनांक 26.11.1968 के द्वारा किस्म नहरी द्वितीय के रूप अप्रार्थी दयोगी पुत्र धुन्धी जाति चमार निवासी आलावाडा के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज किया गया। तत्पश्चात् भू-प्रबंध द्वारा गत खसरा संख्या 169/4 रकबा 10 बिस्वा का हाल खसरा संख्या 721 रकबा 0.14 है० बनाकर हाल जमाबंदी संवत् 2060-63 तक में रामोली बगै० पुत्र दोजी जाटव निवासी आलावाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि अवैध है। चूंकि उक्त भूमि राज०काश्त०अधि० 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज०काश्त०अधि० 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। जिस पर न्यायालय अति०</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <u>रेफरेन्स(एच.सी.) /एल.आर/2534/2006/करौली</u>  <b>राजस्थान सरकार बनाम रामोली व अन्य</b></p>	<p>नम्बर व  तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म  की तामील  में जारी हुए</p>
	<p>जिला कलक्टर, करौली द्वारा प्रकरण को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नदी/नाला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है।</p> <p>विद्वान अति० राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अति० राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम आलावाडा की आराजी खसरा संख्या 169/4 मि० रकबा 10 बिस्वा स्थित ग्राम के नवीन खसरा संख्या 721 रकबा 0.14 है० जिसका प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। जिसका गत आराजी खसरा संख्या 169/4 रकबा 10 बिस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात् गै०मु०नदी दर्ज रिकार्ड था परंतु नामांतरण संख्या 53 दिनांक 26.11.1968 के द्वारा किस्म नहरी द्वितीय के रूप अप्रार्थी दयोगी पुत्र धुन्धी जाति चमार निवासी आलावाडा के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज किया गया। तत्पश्चात् भू-प्रबंध द्वारा गत खसरा संख्या 169/4 रकबा 10 बिस्वा का हाल खसरा संख्या 721 रकबा 0.14 है० बनाकर हाल जमाबंदी संवत् 2060-63 तक में रामोली बगै० पुत्र दोजी जाटव निवासी आलावाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि अवैध है। चूंकि उक्त भूमि राज०काश्त०अधि० 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज०काश्त०अधि० 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारंभतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। चूंकि उक्त भूमि मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2008-2011 अनुसार गै०मु०नदी सरकारी दर्ज थी, इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी में दर्ज योग्य नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि ऐसी गैर मुमकिन दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को निजी खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं हो सकते हैं। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावे तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी के रूप में</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <u>रेफरेन्स(एच.सी.) /एल.आर/2534/2006/करौली</u>  <b>राजस्थान सरकार बनाम रामोली व अन्य</b></p>	<p>नम्बर व  तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म  की तामील  में जारी हुए</p>
	<p>राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।</p> <p>हमने अति० राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और अति० जिला कलक्टर, करौली की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>चूँकि राजस्व अभिलेख सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2008-11 के अनुसार विवादित आराजी का गै.मु. नदी राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।</p> <p>नदी, नला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।</p> <p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार है:-</p> <p><b>“4. Land not available for allotment under these rules.-</b> The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-</p> <p>(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;”</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है:-</p> <p><b>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-</b></p> <p>Notwithstanding anything in this Act or in any</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स(एच.सी.) /एल.आर/2534/2006/करौली</u> राजस्थान सरकार बनाम रामोली व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला(नला)/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंड्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।</p> <p>परिणामतः न्यायालय अति० जिला कलक्टर, करौली द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 31.03.2006 के क्रम में माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम आलावाडा में स्थित हाल आराजी खसरा संख्या 721 रकबा 0.14 है० किस्म नहरी द्वितीय जो मूल रूप से सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 169/4 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै०मु०नदी से बनी है पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी/ का अप्रार्थीगण को किए गए आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गै०मु० नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">(भवानी सिंह पालावत) सदस्य</p>	